

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्यय अनुभाग)

क्रमांक : प-4(121)वित्त-1(1)आय.व्य./2018

जयपुर, दिनांक : 23/03/2020

संशोधित स्वीकृति

कोषाधिकारी,
उदयपुर (राज.)

विषय : वित्तीय वर्ष 2019-20 में आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास, उदयपुर के निजी निक्षेप खाते में राशि हस्तांतरण बाबत।

महोदय,

विषयान्तर्गत लेख है कि प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एफ.6/लेखा/सी टी एडी/275(1) प्रस्ताव /2019-20 दिनांक 10.02.2020 के क्रम में इस विभाग द्वारा जारी पूर्व स्वीकृति संख्या 629/2019-20 दिनांक 25.02.2020 के क्रम संख्या 20 पर अंकित बजट मद में प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की समसंख्यक संशोधित स्वीकृति संख्या 116/2019-20 दिनांक 18.03.2020 के अनुसार बजट शीर्ष 2225-02-796- (18)-[05]-12 सहायतार्थ अनुदान (गैर सवेतन) (केन्द्रीय सहायता) के सम्मुख अंकित राशि रुपये 328.50 लाख को संशोधित कर राशि रुपये 174.60 लाख मात्र किया जाता है। उपर्युक्त संशोधन के परिणामस्वरूप उपरोक्त बजट मद में अब कुल राशि रुपये 174.60 लाख (अक्षरे रुपये एक करोड़ चौहत्तर लाख साठ हजार) मात्र तक ही आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित की जावे। शेष अन्य समस्त शर्तें यथावत् रहेगी।

(जसवंत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक/लेखा परीक्षा-प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर, राजस्थान।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-II) विभाग।
4. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
5. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
6. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

755mev
23/3/20

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

23/03/2020